रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--128/89 REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1989 (श्रावण 7, 1911)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1989 (SRAVANA 7, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	579
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	769
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1005
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	631
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	687
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	679
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	97
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

171 GI/89

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	579
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	769
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1005
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	631
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	687
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	679
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	97
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1989

64-प्रेज/89—इस सचिवालय की दिनांक 26 जुलाई, 1979 की अधिसूचना सं० 33-प्रेज/79 में प्रकाशित पूर्वता सारणी में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन सामान्य सूचना के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :—

(क) अनुच्छेद 17 में, "अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग" से सम्बन्धित प्रविष्टि से ऊपर "अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण" जोड़ा जाए।

(ख) अनुच्छेद 23 में, "सालिसीटर जनरल" से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात, "उपाध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण" जोड़ा जाए।

(ग) अनुच्छेद 25 में, "अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों से बाहर उप-राज्यपाल" से सम्बन्धित प्रविष्टि से नीचे "सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण" जोड़ा जाए

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1989

संकल्प

सं० सलाहकार बोर्ड/27/89—इस विभाग के दिनांक 18-2-87, 22-4-87 तथा 9-5-88 के समसंख्यक संकल्प के सिलसिले में, राष्ट्रपति जी ने स्वयंसेवी संगठनों की सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थायी समिति (सलाहकार बोर्ड) का पुनर्गठन किया है जो तत्काल प्रभावी होगा।

2. पुनर्गठित समिति के सदस्य नीचे दिए अनुसार होंगे :—

1. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, 'कांसपेक' (राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम का स्वयंसेवी संगठन)	सदस्य
3. अध्यक्ष, 'बायस' (उपभोक्ताओं के शिक्षण में दिलचस्पी लेने वाला स्वयंसेवी संगठन)	सदस्य
4. महानिदेशक, 'कैपार्ट' (जन-कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोन्नति परिषद्)	सदस्य
5. अध्यक्ष, भारतीय कम्प्यूटर संस्था (कम्प्यूटर सोसाइटी आफ इण्डिया) (कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि)	सदस्य
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला तथा बाल विकास विभाग	सदस्य
7. निदेशक (इलेक्ट्रॉनिकी) खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
8. अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग संघों का परिसंघ (गठन न होने तक 'एल्सीना' मेट' तथा 'इटमा' के अध्यक्ष बारी-बारी से भाग ले सकते हैं)	सदस्य
9. अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियर संस्थान (आई० ई०टी०ई०)	सदस्य
10. संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (उद्योग संवर्धन प्रभाग के प्रभारी)	सदस्य
11. श्री के० बी० अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, आर०ई०आई०एल० (ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिकी अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सक्रिय अभिकरण)	सदस्य
12. श्री संजित राय, निदेशक, समाज कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र (ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में सक्रिय)	सदस्य
13. संयुक्त सलाहकार (स्वयंसेवी अभिकरण) योजना आयोग योजना भवन नई दिल्ली	सदस्य
14. डॉ० विनय धर्माधिकारी निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	सदस्य सचिव

3 संभव है कि कुछ ऐसे लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, जिनकी उपस्थिति इस मंच में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अतः अध्यक्ष महोदय एक या दो ऐसे व्यक्तियों को समय-समय पर अपना योगदान देने के लिए इस मंच में सहयोजित करने के लिए सदस्य-सचिव को प्राधिकृत कर सकते हैं।

4. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

5. सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्य करेगा :—

(1) ऐसे कार्यकलापों का ठोस रूप से पता लगाना जिन्हें स्वयंसेवी अभिकरण तथा गैर सरकारी संगठन सरकारी कार्यक्रमों के अनुपूरक-कार्य के रूप में हाथ में ले सकें तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्यों को आपस में मिलजुल कर हासिल कर सकें

(2) इलेक्ट्रॉनिकी के संबंध में सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और स्वयंसेवी अभिकरणों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच में सुस्थिर संवाद स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, तथा इन्हें जनता की आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक गतिशील एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक सूचना मंगाना ।

(3) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में प्रयोग, खपत तथा खोज को बढ़ावा देने के लिए नितनूतन अवधारणाओं तथा नए नेतृत्व के लिए प्रभावशाली सूचनाप्रद बोर्ड के रूप में कार्य करना ।

6. बोर्ड अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयोजित करेगा लेकिन कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बैठक अवश्य आयोजित करेगा ।

7. इस बोर्ड के कार्यकलापों तथा बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को विभाग की साधारण नीतियों में किए गए प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे । बोर्ड अपनी बैठक दिल्ली से बाहर भी आयोजित कर सकता है । बैठक से संबंधित व्यय बजट शीर्ष "सामाजिक इलेक्ट्रॉनिकी" के अन्तर्गत सदस्य-सचिव द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए तथा इसे आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनिल कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1989

नियम

सं० 4/5/89-के०से० (i)—निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड-1 की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1989 में ली जाने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित ग्रेड-1 (अवर सचिव) सीमित विभागीय परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग-I

भारतीय विदेश सेवा, शाखा "ख" के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-1

वर्ग-II

रेल बोर्ड सचिवालय का ग्रेड-1

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट में निर्धारित नियमों के अनुसार ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किए जाएंगे ।

3. (क) स्थायी अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी जिसका नाम नीचे कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं की चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है, तथा जिसने 31 दिसम्बर, 1988 को कालम 2 में उल्लिखित सेवा से संबंधित शर्तें पूरी कर ली हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग हेतु परीक्षण में बैठने का पात्र होगा ।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
सामान्य संवर्ग का समेकित ग्रेड-II और III और/या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग का "चयन ग्रेड"	सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-II और III या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग-1
रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड और/या रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" अथवा दोनों में जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग-II

टिप्पणी : (I) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों के मामले में अनुमोदित सेवा में, उक्त सेवा के ग्रेड "ख"/ग्रेड-1 में की गई अनुमोदित सेवा की आधी अवधि शामिल होगी ।

(2) सैनिक ड्यूटी में रहने पर अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को उपर्युक्त पदों में से किसी भी पद के लिए निर्धारित सेवा काल में गिनने की अनुमति दी जाएगी ।

(3) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा

(II) सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-II और III तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों को, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य पद पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी । किन्तु यह किसी ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होगा जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा स्थानांतरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया हो और जिसका (I) और (II) में उल्लिखित अपने ग्रेड में पुनर्ग्रहणाधिकार न हो ।

4. परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा अन्यथा किसी बात के लिए उम्मीदवार की पात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

5. किसी भी उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण पत्र न हो ।

6. आयोग द्वारा निम्नलिखित कारणों से दोषित, दोषी उम्मीदवार को जिसने :—

(i) किसी भी तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने, अथवा

(ii) प्रतिरूपण करने, अथवा

(iii) किसी व्यक्ति, द्वारा प्रतिरूपण करवाने, अथवा

(iv) जाली अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनमें हेर-फेर किया हो, अथवा

(v) गलत अथवा असत्य विवरण देने अथवा तथ्य को छिपाने, अथवा

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुपयुक्त तरीकों से काम लेने, अथवा

(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिकों (पुस्तिकाओं) में अप्रासंगिक विषय लिखने, जिसमें भाषा अथवा अश्लील सामग्री शामिल है, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने, अथवा

(x) परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करने अथवा उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने, अथवा

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(xii) पूर्वोक्त खण्डों में बताया गया कोई काम करने का प्रयत्न अगर कोई करता हो या इन कामों को करने के लिए किसी को उकसाता हो तो उसके खिलाफ आपराधिक अभियोग तो चलाया ही जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नियोजन से, स्थायी रूप से

अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया जा सकता है, और

(ग) समुचित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई सास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न लिया गया हो।

7. आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपर्युक्त समझेगा उनके नामों, का, जिसमें दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे, योग्यता क्रम में एक ही सूची बनाएगा और इस क्रम से जितने भी उम्मीदवार आयोग द्वारा योग्य माने जाएंगे उनकी चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित संख्या तक अनुशंसा की जाएगी।

टिप्पणी.—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा।

परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

8. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

9. परीक्षा में सफल हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

10. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा से स्थानांतरण पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और उसका उपयुक्त नियम 3(क) के कालम। में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो।

जी०एस० पीरजादा, अवर सचिव,

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

भाग–I : निम्नलिखित विषयों पर दो प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा होगी जिनमें से हर एक के 200 अंक रखे गए हैं।

प्रश्न पत्र—I : भारत सरकार सचिवालय और संलग्न कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति 1 (वर्ग I के लिए)

प्रश्न पत्र–II : भारतीय संविधान तथा शासन तंत्र का सामान्य ज्ञान संसदीय पद्धति और प्रक्रिया I (वर्ग II के लिए)

प्रत्येक प्रश्न पत्र 2½ घन्टे का होगा।

भाग–II आयोग की विवेक्षा पर ऐसे उम्मीदवारों के गोपनीय अभिलेखों का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार–200 अंक।

2. परीक्षा की पाठ्यचर्या अनुसूची के अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी तथा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

टिप्पणी—I : सभी प्रश्नों के लिए एक सा विकल्प होगा तथा उसी प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग–अलग विकल्प नहीं होगा।

टिप्पणी—II : उक्त प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के संबद्ध कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम मान लिया जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी III : प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी कोष्टक में दे सकते हैं।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर स्वयं ही लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी।

5. आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी भागों के अर्हक अंक निर्धारित करेगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में बुलाए जाने पर विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग की विवेक्षानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक प्राप्त कर लेंगे।

6. मात्र सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. लिखित विषयों में अस्पष्ट लिखाई के लिए अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

9. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात्) 1,2,3,4,5,6 आदि का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या :

जहां नियमों आदेशों अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों का प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग I के लिए)

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका।

(ii) कार्यालय क्रिया पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

(iii) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।

कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग II के लिए)

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा से, इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय रेल बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका।

(ii) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई "संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के योग से संबंधित आदेशों की पुस्तिका।

भारत के संविधान और शासन तंत्र संसद प्रक्रिया और पद्धति का सामान्य ज्ञान

टिप्पणी :—निम्नलिखित विषयों के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है।

(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धान्त।

(2) लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली।

(3) भारत सरकार के शासन तंत्र का संगठन मंत्रालयों, विभागों संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनमें विषयों का आबंटन और उनके परस्पर संबंध।

तकनीकी विकास महानिदेशालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1989

संकल्प

सं० सिरैमिक/11(21)88—भारत सरकार ने सिरैमिक उद्योग के लिए इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से एक विकास नामिका के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री एम० एस० गोवर उप महानिदेशक, त०वि०म०नि०, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2. निदेशक (सी०जी०एफ अनुभाग) औद्योगिक विकास विभाग नई दिल्ली	सदस्य
3. निदेशक (सिरैमिक) विकास आयुक्त, लघु उद्योग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
4 डा० जी० बनर्जी सैंट्रल ग्लास एण्ड सिरैमिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट कलकत्ता	सदस्य
5. अध्यक्ष/प्रतिनिधि इलैक्ट्रानिक कम्पोनैंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 408 एवं 707 सहयोग, 58 मेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019	सदस्य
6. आर० के० सोमानी अध्यक्ष, हिन्दुस्तान सैनीटरीवेयर इन्डस्ट्रीज लि०, बहादुरगढ़, जिला रोहतक (हरियाणा)	सदस्य
7. श्री अजित मंटेगानी ई०आई०डी० पैरी लिमिटेड रानीपेट, नार्थ आरकट (तिमलनाडु)	सदस्य
8. श्री जे०के० भगत बैंगल पाटरीज लि० 45 ठंगरा रोड, कलकत्ता	सदस्य
9. श्री वेद कपूर हिसकारी पाट्रीज लिमिटेड फरीदाबाद (हरियाणा)	सदस्य
10. श्री यू० सरकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिवेली सिरैमिक एंड रिफैक्ट्रीज लिमिटेड (सैनीटरीवेयर प्रभाग) वाडालूर-607403, साउथ आर्काट जिला तमिलनाडु	सदस्य

11. श्री जी०एन० नायडू — सदस्य
मैनेजिंग डायरेक्टर
रिजैंसी सिरैमिक लिमिटेड
एन०एम० हाउस, चिरागअली लेन,
हैदराबाद–560081

12. श्री डी०ए० कोटिया — सदस्य
एच एंड आर जानसन इंडिया लि०,
ककड चेम्बर्स, 132 ऐनी बेसेन्ट रोड,
बम्बई–18

13. श्री पी०एम० लोदा — सदस्य
जयश्री इन्सूलेटर्स लिमिटेड
रिशरा, हुगली (वेस्ट बंगाल)

14. श्री पी० रामनाथ — सदस्य
प्रबन्धक
गुम्मुडिपूण्डी मारगमाइट सिरैमिक फाइबर्स लि०,
20 राजाजी सलाई, मद्रास–600081

15. श्री ए०के० कैलअप्पनन् — सदस्य
प्रबन्धक (डब्ल्यू)
इंगलिश इंडियन क्ले लि०
वेली, त्रिवेन्द्रम–6950291 (केरल)

16. नियंत्रक — सदस्य
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स
नागपुर

17. श्री पी०एम० धर्माधिकारी — सदस्य
(कामिकल प्लांट एंड सिस्टम डिवीजन)
लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड
एल एंड टी हाउस, बलार्ड एस्टेट
बम्बई–400038

18. श्री बी०एम०आर० राई — सदस्य
उप महाप्रबंधक (सी०टी०आई०)
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०,
इलैक्ट्रो पोरसिलेन मंडल
पोस्ट बाक्स सं० 1245,
साईंस इन्स्टीच्यूट पोस्ट,
बंगलौर–560012

19. श्री जी मिन्ज — सदस्य-सचिव
औद्योगिक सलाहकार
तकनीकी विकास महानिदेशालय

नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) उद्योग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना इसके भावी विकास के लिए परिप्रेक्ष्य, मांगों का अनुमान और अंतरालों को दूर करने की सिफारिश करना।

(2)क. औद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना और इसके अपेक्षित स्तर तक किस्म उन्नयन करने के संबंध में तथा आधुनिकीकरण करने के लिए उपाय सुझाना।

ख. 1...न के स्तर के बारे में विचार करना और डिजाइनों/प्रक्रियाओं के विकास के लिए यथा उपयुक्त उपाय सुझाना।

(3) सामग्री एवं ऊर्जा उपभोग के मानदण्डों के बारे में सलाह देना, उन्हें कम करने के उपाय करना और दक्षता व उत्पादकता में सुधार करने संबंधी उपायों की सिफारिश करना।

(4) उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन के आर्थिक व अपेक्षित मानदण्डों के बारे में सलाह देना।

(5) उत्पाद एवं उसके लिए कच्चे माल और अवयवों के आयात–प्रतिस्थापन के बारे में उपाय सुझाना।

(6) निर्यात उत्पादन के बारे में सलाह देना।

(7) कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतों तथा उपभोग के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग की वृद्धि और क्षेत्रीय विकास के नमूनों संबंधी सलाह देना।

(8) उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए नामिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कोई विषय

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन, निदेशक (प्रशासन)

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 30 जून 1989

सं० 27/5/89 सी०एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री डी०के० पाल, निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209 क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

जे० एल० जैन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1989

सं० 43-28/74-एल०डी०टी०—केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद् के पुनर्गठन से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 2/12 सितम्बर, 1988 के संकल्प सं० 43-28/74 एल०डी०टी० के क्रम में, श्री एस० प्रसाद राजू, प्रबंध निदेशक, मैसर्स प्रसाद और कम्पनी (परियोजना निर्माण कार्य) प्रा०लि० हैदराबाद को 1-9-1991 तक परिषद् के कार्यालय की शेष अवधि के लिए सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

पी० त्रिपाठी, अपर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 17th July 1989

No. 64-Pres./89.—The following amendments approved by the President to the Table of Precedence published in this Secretariat Notification No. 33-Pres./79, dated the 26th July, 1979, are notified for general information :—

(a) In Article 17, above the entry relating to the "Chairman, Minorities Commission",

Add "Chairman, Central Administrative Tribunal".

(b) In Article 23, after the entry relating to the "Solicitor General",

Add "Vice-Chairman, Central Administrative Tribunal".

(c) In Article 25, below the entry relating to the "Lieutenant Governors outside their respective Union Territories",

Add "Members, Central Administrative Tribunal".

S. NILAKANTAN
Director

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi-110003, the 5th June 1989

RESOLUTION

No. Adv.Board/27/89.—In continuation of this Department's resolution of even No. dated 18-2-1987, 22-4-1987 and 9-5-1988, the President is pleased to re-constitute the Standing Committee of the Department of Electronics for support of Voluntary Organisations (Advisory Board) with immediate effect.

2. The revised composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Secretary,
Department of Electronics

Members

2. President, COSPEC
(Voluntary Organisation of State Electronics Dev Corporation).

3. President, VOICE,
(Voluntary Organisation with Interest of Consumer Education).

4. Director General, CAPART
(Council for Advancement of people's Action & Rural Technology).

5. President, CSI
Computer Society of India,
representing Computer Users)

6. Chairman, CSWB
(Central Social Welfare Board)
of Department of Women & Child Development.

7. Director (Electronics), KVIC
(Khadi & Village Industries Commission).

8. President Education of Electronics Industry Associations
(Until formation, ELCINA, MAIT & ITMA Presidents may attend by raation).

9. President, IETE,
(Institute of Electronics and Telecom Engineers),

10. Joint Seretary, DOE
(Incharge, Industry Promotion Division).

11. Shri K. B. Agarwal,
Managing Director, REIL
(An agency active in rural electronics applications).

12. Sh. Sanjit Roy, Director,
SWRC (Social Work & Research Centre, active in technology applications in rural development)

13. Joint Advisor
(Voluntary Agencies)
Planning Commission
Yojana Bhavan
New Delhi.

Member-Secretary

14. Dr. Vinay Dharmadhikari
Director, DOE

3. It is possible that there are some other eminent individuals, whose presence in this forum may be found useful. Therefore, the Chairman may authorise the Member Secretary to co-opt one or two such persons to contribute to this forum from time to time.

4. The term of office of the Non-Official members will be for a period of two years from the date of issue.

5. This Advisory Board will function to achieve the following objectives :

(i) To identify, in concrete manner, the activities which the Voluntary Agencies and Non-Governmental Organisations can undertake to supplement the official programmes and to co-operatively achieve the national objectives in the area of electronics.

(ii) To serve as a forum for sustained communication between the Department of Electronics and the Voluntary Agencies and Non-Governmental Organisations, for obtaining feed back on Government programmes and policies in electronics, and to seek inputs for making these more responsive and meaningful to the public needs.

(iii) To serve as a sounding Board for innovative ideas and new initiatives in the interest of promting electronics usage, consumption and innovation.

6. The Board will hold its meetings as often as necessary but a least once per quarter.

7. TA & DA to Non-official members for attending to the activities and the meeting of this Board will be provided as per the provisions of normal Department policies. The Board may choose to hold meeting in locations other than Delhi. The expenses for meetings will be authorised by the Menber-Secretary under the Budget Head "Social Electronics".

ORDER)

Ordered that a copy of above Resolution be indicated to all the State Goverarments, Union Territories and that the resolution may be publiched in the Gazette of Government of India for general information.

A. K. AGARWAL, Jt. Secy. & Financial Adviser.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 29th July 1989

RULES

No. F.4/5/89-CS.I.—The rules for a combined Grade-I (Under Secretary) Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates to be held by the Union Public Service Commission 1989 for additions in the Select Lists for Grade-I of the Services mentioned below are, with the concurrence, of the Ministries concerned published for general information.

GATEGORY—I

Grade-I of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

CATEGORY—II

Grade-I of the Railway Board Secretariat Service.

1. The number of person to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent Officers or any Officer whose name has been included in the Select List of the Grades and Services mentioned in Column 1 below who belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and who on 31st December, 1988 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in Column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in Column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
Integrated Grades II and III of the General Cadre and/or Selection Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service' B.	Not less than 4 years approved and continuous service integrated Grade II and III of the General Cadre or in Selection Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service 'B' or in both as the case may be.	Category I
Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service and/or Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 4 years approved and continuous service in the section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category II

NOTE (1) :—In the case of Grade 'A' Officers of the Railway Board Secretariat Stenographers Service and Selection Grade of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service, Branch (B), the approved service shall include half of the approved service rendered in Grade 'B'/Grade-I of that service.

NOTE (2) :—Any period of absence on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above posts.

NOTE (3) :—(i) Section officers of the Railway Board Secretariat Service and Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service; and

(ii) Officers of the Integrated Grades II and III of the General Cadre and Selection Grade of Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service, Branch (B), who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted at the examination, if otherwise eligible.

Provided that it shall not apply to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the respective Grade mentioned at (i) and (ii).

4. The decision of the Commission as to eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) Impersonating; or

(iii) Procuring impersonation by any person; or

(iv) Submitting farbicated document or documents which have been tampered with; or

(v) Making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) Using unfair means during the examination; or

(viii) Writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter in the script(s); or

(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) Violating any of the Instructions issued to the candidates alongwith their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) Attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the act specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of the examination shall be arranged in the order of merit in a single list for candidates belonging to both the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select Lists, upto the required number.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

8. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

9. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for Selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

10. Candidates who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the grades and services mentioned in Column I of the Rule 3 above will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part-I :—Written examination consisting of two papers in the following subjects each carrying 200 marks :—

Paper-I :—(i) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices.

(For Category I)

(i) Office Procedure and Practice.

(For Category II)

Paper-II : General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament.

The papers will be of 2½ hours duration each.

Part-II :—Evaluation of CRs and Interview of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion—200 marks.

2. Syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers either in English or in Hindi (Devanagari). Question papers will be set in English and Hindi.

NOTE (1) :—The option will be same for all the questions and not for different questions in the same paper.

NOTE (2) :—Candidates desirous of exercising the option to answer the papers in Hindi (Devnagari), should indicate their intention to do so in the relevant column of the Application Form. Otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

NOTE (3) :—Candidates exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the Parts of the examination. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion will be considered for evaluation of CRs and called for Interview.

6. Marks will not be allotted for mere superficial Knowledge.

7. Deduction upto 5 percent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

9. Candidates should use only International Form of Indian Numerals (e.g. 1,2,3,4,5, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

Where knowledge of the Rules, Orders, Instructions etc. is required, candidates will be expected to be conversant with amendments issued upto the date of notification of this examination.

PROCEDURE & PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES :

(For Category I)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) "Hand Book of Orders regarding use of Hindi for Official purposes of the Union" issued by the Ministry of Home Affairs.

OFFICE PROCEDURE & PRACTICE

(For Category II)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board). Some guidance on the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification issued by the Ministry of Railways (Railway Board).

(ii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for Official purposes of the Union "issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTRUCTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT, PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT

Note.—Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constitution of India, (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and The Rajya Sabha and (iii) the organisation of the machinery of Government of India-designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and Subordinate Offices and their relation inter se.

G. S. PIRZADA, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 3rd July 1989

RESOLUTION

No. Ceramics/11(21)/88.—Government of India have decided to re-constitute the Development Panel for Ceramics Industries with the following composition and for the period of two years from the date of issue of this Resolution:—

Chairman

1. Shri M. S. Grover
Dy. Director General, DGTD, New Delhi

Members

2. Director (CGF Section),
Deptt. of Industrial Development,
New Delhi.

3. Director (Ceramics),
DCSSI, Nirman Bhawan, New Delhi

4. Dr. G. Bannerjee,
Central Glass & Ceramic Research
Institute, Calcutta.

5. President/nominee,
Electronic Components Industries
Association, 408 and 707 Sahyog,
58, Nehru Place, New Delhi-110 019.

6. Shri R. K. Somani,
President,
Hindustan Sanitaryware Industries Ltd.,
Bahadurgarh, Distt. Rohtak (Haryana)

7. Shri Ajit Mantegani,
EID Parry Ltd.
Ranipet, North Arcot (Tamilnadu)

8. Shri G. K. Bhagat,
Bengal Potteries Ltd.,
45, Tangra Road, Calcutta.

9. Shri Ved Kapur,
Hitkari Potteries Ltd.,
Faridabad (Haryana)

10. Shri U. Sarkar,
Senior Vice President,
Neiveli Ceramics & Refractories Ltd.
(Sanitaryware Division),
Vadalur-607403,
South Arcot District,
Tamilnadu.

11. Shri G. N. Naidu,
Managing Director,
Regency Ceramics Ltd.,
N. N. House, Chirag Ali Lane,
Hyderabad-500001.

12. Shri D. A. Kotian,
H. & R. Johnson India Ltd.,
Kakad Chambers,
132, Annie Besant Road
Bombay-18.

13. Shri P. M. Lodha,
Jayshree Insulators Ltd.,
Rishra, Hooghly
(W. Bengal).

14. Shri P. Ramnath,
General Manager,
Murugappa Morganite Ceramic Fibres Ltd.,
28, Rajaji Salai,
Madras-600001.

15. Shri A. K. Kelappan,
General Manager (W),
English Indian Clays Ltd.,
Veli, Trivandrum-695021
(Kerala)

16. Controller,
Indian Bureau of Mines,
Nagpur.

17. Shri P. M. Dharmadhikari,
(Chemical Plant & Systems Division),
Larsen & Toubro Ltd.,
L&T House, Ballard Estate,
Bombay-400038.

18. Shri B. M. R. Rai,
Deputy General Manager (CTI),
Bharat Heavy Electricals Ltd.,
Electro Porcelains Division,
Post Box No. 1245,
Science Institute Post,
Bangalore-560012.

Member-Secretary

19. Shri B. Minj,
Industrial Adviser, DGTD.

2. The terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To review the present status of the industry, perspective for its future growth, estimate the demand and recommend steps to cover gaps.

(ii) (a) To evaluate the status of technology and suggest measures for upgrading the same to bring it up to the desired level, and to suggest measures for modernisation.

(b) To consider the level of development and suggest measures for development of designs/processes, as applicable.

(iii) To advise on norms for material and energy consumption, steps for reduction in the same and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity.

(iv) To advise on the economic and desirable scales of production for different sectors of the industry.

(v) To suggest measures for import substitution of the product, its raw materials and components.

(vi) To advise on steps for export generation.

(vii) To advise on pattern of regional development and growth of the industry, taking into account the sources of supply of raw materials and areas of consumption.

(viii) Any other aspects which the Panel deems important in the interest of the growth and development of the industry.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Dir. (Admn.)

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 30th June 1989

No. 27/5/89-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Govt. hereby authorise Shri D. K. Paul, Inspecting Officer, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

J. L. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 3rd July 1989

No. 43-28/74-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 43-28/74-LDT dated 2nd/12th September, 1988 reconsttituting the Central Poultry Development Advisory Council, Shri S. Prasad Raju, Managing Director, M/s. Prasad and Company (Project Works) Private Ltd., Hyderabad, has been nominated as member of the Advisory Council for the remaining term of office of the Council till 1-9-1991.

P. TRIPATHY, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989